न्यायालय तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थी

राजस्थान सरकार
पटवारी हल्का **चौखला**

हीराराम पुत्र जेठाराम
जाति जाट निवासी करनपुर

मुकदमा नम्बर 9/**2018** अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांक 30.10.2018**

पत्रावली आज पेश हुई। विप्रार्थी अनुपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हे कि विप्रार्थी द्वारा संवत 2075 में ग्राम **करणपुर** के खसरा नम्बर 188 रकबा 3.11 बीघा किस्म गै. मु. रास्ता भूमि मे से रकबा 0.10 बीघा में अनाधिृत रूप से रास्ता रोककर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही हेतु रिपोट पेश की। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्राथी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस विप्राथी से तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विप्राथी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त समस्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गैर सायल पर लगाये गये आरोपों (अध्यारोपित आरोप) व उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करना। पटवारी रिपार्ट का अवलोकन किया गया। ग्राम **करणपुर** के खसरा नम्बर 188 रकबा 3.11 बीघा किस्म गै. मु. रास्ता भूमि म से रकबा 0.10 बीघा में अनाधिृत रूप से रास्ता रोककर अतिकमण विप्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है जो अवैध है।

अतः विप्रार्थी/गैर सायल को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाकर सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। साथ ही भूमि के वार्षिक लगान 1 रू 50 गुणा जुर्माना रू 50/- अखरे पचास रूपये मात्र किया जाता है। जो विप्रार्थी से वसूल हो। विप्रार्थी को मोके से बेदखल करने भूमि का कब्जा बहक सरकार लेने हेतु भू.अ. निरीक्षक व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो।

पटवारी हल्का व त.रा.ले. तहसील हाजा आदेश से सूचित हो ,पत्रावली फराल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो । निर्णय खुली अदालत सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को सुनाया गया।

तहसीलदार बायतु
तहसीलदार बायतु